

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/ /2018/ दिनांक:-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जालोर।

विषय:- श्रीमती सुसम्मा एन. जे., महिला स्वास्थ्य दर्शिका, के स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 6539 दिनांक 07.08.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती सुसम्मा एन. जे., महिला स्वास्थ्य दर्शिका से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृति पर रोक है किन्तु कार्मिका का मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक का उल्लेख नहीं एवं सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि स्पष्ट नहीं है।


अतः कार्मिका को स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है, अतः कार्मिका को आप अपने स्तर से सूचित करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/S-216/2018/1523 दिनांक:- 31-10-2018

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर